भारत सरकार
मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2945
18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

पारंपरिक मछुआरे

2945. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन**:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पारंपरिक मछुआरों को मछली पकड़ने से प्रतिबंधित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो पारंपरिक मछुआरों को बढ़ावा देने तथा उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार का मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पारंपरिक मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए शुल्क देने से छूट देने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए शुल्क लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या पारंपरिक मछुआरों को बिना लाइसेंस शुल्क के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की अनुमति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार का मछली पकड़ने के लिए कर/शुल्क लगाने से पहले हितधारकों के साथ चर्चा करने का विचार है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): 'मात्स्यिकी' राज्य का विषय है। टेरीटोरियल वॉटर्स (समुद्री सीमा) में 12 समुद्री मील तक मात्स्यिकी नियमन सातवीं अनुसूची की सूची 2 प्रविष्टि 21 के अनुसार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) और उससे आगे के क्षेत्रों में मात्स्यिकी नियमन भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 57 सूची 1 के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (ईईजेड) में पारंपरिक मछुआरों द्वारा मत्स्यन पर कोई प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न कदम उठा रहा है, जिसमें सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछडे मछुआरों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता और मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना कवरेज भी शामिल है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, पारंपरिक मछुआरों को डीप-सी फिशिंग वेसेल्स के अधिग्रहण, निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसेल्स को अपग्रेड करने, बेहतर कैच के लिए पारंपरिक मछुआरों द्वारा बोट्स और नेट्स की खरीद, समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संचार और ट्रैकिंग उपकरणों और सुरक्षा किटों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। मछुआरों को मूल्य प्राप्ति में सुधार करने के लिए, पोस्ट-हार्वेस्ट और कोल्ड चेन सुविधाओं, फिश ट्रांसपोर्ट, फिश मार्केट जैसे फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर, वैल्यू ऐडीड एंटरप्राइज़ इकाइयों और ऐसी अन्य गतिविधियों के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): जी नहीं, महोदय। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने भारत के ईईजेड में मत्स्यन के लिए लाइसेंस शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

(घ): प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ड़) और (च): जी नहीं, महोदय। भारत के ईईजेड में डीप-सी फिशिंग के लिए किसी प्रकार का लाइसेंस शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ): प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

*****